फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी / वादी — **अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण**

छोटीदेवी — **बनाम** — **भैरूराम वगैरह**

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद पत्र — मुकदमा नं. 17/2020 (107/2017)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। पूर्व में तारीख पेशी दिनांक 20.08.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। दिनांक 2.03.2020 को 1000/– रू. कोस्ट अदायगी पर पुनः रिस्टोर किया गया था। परन्तु प्रकरण हाजा में आदिनांक तक वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर एवं दिनांक 8.08.2024, 23.09.2025 को हिदायत के साथ अन्तिम अवसर प्रदत्त किये गये है। परन्तु वकील वादी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक रजिस्र्ड सम्मन तामील हेतु पेश नहीं किये। तथा ना ही साबिका आदेश की पालना में आज दिनांक को सम्मन तलबाना पेश किये। अतः वादी का वादपत्र अधीन धारा 88, 92अ, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावजूद पर्याप्त अवसर अप्रार्थीगण की तामील किये जाने हेतु दिये जाने पर भी तलबी नहीं कराने एवं न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नावां नावां (डीडवाना–कुचामन)	